



इटावा पुलिस



प्रेस नोट- दिनांक 21.03.2026

- इटावा पुलिस द्वारा महिला की हत्या करने वाले 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।
- महिला के पति व परिवारीजन ने मिलकर की थी हत्या।
- मृतिका का की-पैड मोबाइल, गमछा व टूटी हुई चूड़ियां/कड़े के टुकड़े बरामद।
- अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के पर्यवेक्षण में **थाना वैदपुरा पुलिस** द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 21.03.2026 को वादी विनोद कुमार पुत्र पृथ्वीपाल निवासी ग्राम कधिया थाना असोधर जनपद फतेहपुर द्वारा थाना वैदपुरा पर तहरीर दी गयी कि वादी की बहन सोमवती की शादी करीब 10 वर्ष पूर्व मनोज पुत्र स्व0 फूल सिंह के साथ हुई थी। मनोज एवं उसके परिवारीजनों द्वारा शराब के नशे में घर के बंटवारे को लेकर उकसावे में आकर वादी की बहन की हत्या कर साक्ष्य छिपाने व गुमराह करने के उद्देश्य से शव को लटका दिया गया तथा वादी के भांजे पंकज को धमकी दी गयी। जिसके सम्बन्ध में थाना वैदपुरा पर **मु0अ0सं0 21/2026 धारा 238/103(1)/351(2)/3(5)बीएनएस** पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 21.03.2026 को थाना वैदपुरा पुलिस टीम द्वारा प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर **03 अभियुक्तों को रेलवे लाइन अंडरपास के पास नगला झम्मन नहर पटरी की ओर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया।**

गिरफ्तार अभियुक्त

1. मनोज पुत्र फूल सिंह निवासी ग्राम उदयनगर थाना वैदपुरा जनपद इटावा उम्र करीब 40 वर्ष।
2. शिवेन्द्र उर्फ सिंकू पुत्र रनवीर निवासी ग्राम उदयनगर थाना वैदपुरा जनपद इटावा उम्र करीब 22 वर्ष।
3. पवनेश पुत्र फूल सिंह निवासी ग्राम उदयनगर थाना वैदपुरा जनपद इटावा उम्र करीब 35 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 21/2026 धारा 238/103(1)/3(5)/351(2) बीएनएस थाना वैदपुरा जनपद इटावा।

बरामदगी:-

1. मृतिका का की-पैड मोबाइल
2. 01 गमछा
3. टूटी हुई चूड़ियां व कड़े के टुकड़े

पुलिस टीम:- थानाध्यक्ष श्री नागेन्द्र सिंह थाना वैदपुरा मय टीम।